



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 24 राँची, बुधवार
10 अग्रहायण, 1943 (श०)
1 दिसम्बर, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 321- 325
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

6 अक्टूबर, 2021

संख्या-1/विविध-811/2021 का०-6346--श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, भा.प्र.से. (झा:2008), अपर मुख्य सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 14.04.2021 से 13.05.2021 तक चिकित्सीय कारणों से अवकाश में बितायी गयी कुल अवधि के लिए कुल 30 (तीस) दिनों के लिए रूपान्तरित अवकाश (अर्थात् 60 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश) की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

20 अक्टूबर, 2021

संख्या-1/विविध-811/2013का०-6497--श्री उमा शंकर सिंह, भा.प्र.से. (झा:2009), तत्कालीन अभियान निदेशक, एन०एच०एम०, झारखण्ड, सम्प्रति-निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 24.09.2021 से 18.10.2021 तक कुल 25 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 19.10.2021 के राजपत्रित अवकाश को उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

21 अक्टूबर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-108/2015 का०-6512--श्री राजीव कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-साहेबगंज) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी, गोड्डा को चिकित्सा हेतु उपभोग की गयी अवकाश अवधि दिनांक 05.10.2020 से 07.02.2021 तक (कुल-126 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं FULMALA अन्य नाम MALA TIWARI एवं KUMARI FULMALA PANDEY पति SRI JAI RAM TIWARI, शपथ पत्र सं० 879, दिनांक 22 नवम्बर, 2021 के अनुसार FULMALA के नाम से जानी जाऊँगी ।

FULMALA एवं MALA TIWARI तथा KUMARI FULMALA PANDEY सभी एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- HOUSE NO.- 267,
KUNWAR SINGH COLONY, CHAS,
P.O. & P.S.- CHAS,
DIST.- BOKARO STEEL CITY,
PIN- 827013
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं AMRENDRA KUMAR, YAMINI का पिता शपथ पत्र सं० 603, दिनांक 8 नवम्बर, 2021 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी YAMINI AARYA के नाम से जानी जायेगी ।
YAMINI AARYA एवं YAMINI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- RANI BAGAN BARIATU ROAD,
P. S.- BARIATU,
DIST.- RANCHI,
